कार्यालय उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त अलवर

क्रमांकः– 2261 दिनांकः– 19-11-15

आवश्यक सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल की जिला आवंटन समिति, अलवर की बैठक दिनांक 19.12.2015 को दोपहर 3.00 बजें कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त अलवर में निश्चित की गई है। उक्त बैठक में एन0ई0बी0 विस्तार योजना 2014 के सामान्य पंजीकरण में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 44 एवं स्ववित पोषित योजना में मध्यम आय वर्ग–'अ' के 24, मध्यम आय वर्ग–'ब' के 09 एवं उच्च आय वर्ग के 05 आवासों का आवंटन वर्षवार वरीयता के आधार पर मण्डल नियमानुसार योग्य आवेदकों को वेब बेस्ड कम्प्यूटर रेण्डम प्रणाली द्वारा ऑन लाईन किया जायेगा। आवास का आवंटन उन्हीं आवेदको को किया जायेगा जिन्होनें आरक्षण पत्र के अनुसार पूर्व ग्रहण राशि अथवा स्ववित पोषित योजना के देय किश्तें दिनांक 11.12.2015 तक जमा करवाकर चालान की सत्यापित छाया प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर देगे। दिनांक 11.12.2015 के पश्चात जमा करवाई गई पूर्व ग्रहण राशि के आवेदकों को लॉटरी में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

–: आवंटन लॉटरी हेतु निर्धारित कार्यक्रम :–

क्र. सं.	लॉटरी हेतु निर्धारित कार्यक्रम	दिनांक एवं समय	स्थान
1	आवेदको की अस्थाई सूची का प्रकाशन	दिनांक 04.12.2015 सांय 5.00 बजें	कार्यालय उप आवासन आयुक्त, रा.आ.म.वृत्त अलवर, मनुमार्ग, बस स्टैण्ड के पास, हाउसिंग बोर्ड अलवर, नोटिस बोर्ड पर
2	आक्षेप प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 11.12.2015 सांय 6.00 बजें	
3	योग्य आवेदको की स्थाई सूची का प्रकाशन	दिनांक 16.12.2015 सांय 5.00 बजें	
4	आवंटन लॉटरी की तिथी	दिनांक 18.12.2015 सांय 3.00 बजें	

नोटः–

1. यदि आवेदक द्वारा पूर्व ग्रहण राशि की देय किश्त जमा करवा दी गई है तो जमा राशि के चालान की छायाप्रति आक्षेप प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तक वृत्त कार्यालय में प्रस्तुत करने पर ही लॉटरी में सम्मिलित कर लिया जावेगा।
2. स्ववित्त पोषित योजना के अनतर्गत पंजीकृत आवेदकों को जारी आरक्षण पत्र अनुसार लॉटरी की दिनांक तक देय समस्त किश्तें जमा कराने वाले आवेदको को ही लॉटरी में सम्मिलित किया जावेगा। यदि आवेदक द्वारा देय किश्त जमा करवा दी गई है तो जमा राशि के चालान की छायाप्रति आक्षेप प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तक वृत्त कार्यालय में प्रस्तुत करने पर लॉटरी में सम्मिलित कर लिया जावेगा।
3. लॉटरी कार्यक्रम की अवधि में भुगतान पद्वति परिवर्तन के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाऐंगे।
4. यदि कोई आवेदक वांछित सूचना कार्यालय में नही देने के कारण प्रस्तावित लॉटरी से वंचित रहता है तो इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
5. उपलब्ध आवासों का आवंटन वरीयतानुसार किया जायेगा।
6. इच्छुक आवेदक निर्धारित दिनांक एवं समय पर लॉटरी कार्यक्रम में भाग ले सकते है।
7. आरक्षण राशि जमा नहीं कराने से यदि वरीयता क्रम भंग होता है, तो इसमें मण्डल का कोई दायित्व नहीं होगा।
8. सम्पति निस्तारण हेतु मण्डल निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
9. आवास आवंटन एवं वरीयता निर्धारण लॉटरी हेतु योग्य/अयोग्य आवेदकों की सम्पूर्ण सूची मण्डल की वेबसाईट www.rhbonline.rajasthan.gov.in पर तथा अयोग्य आवेदको की अस्थाई/ स्थाई सूची निर्धारित कार्यक्रमानुसार वृत्त अलवर के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध रहेगी।

उप आवासन आयुक्त
राज0आवासन मण्डल, वृत्त अलवर

E:\prabhu2012\prabhu2010\work2008\My Documents\LOTTERY2015.doc